फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स राज टैक्सटाइल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन व अन्य

प्रकरण संख्या 21/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
04.03.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । मुताबिक 13(2) नोटिस ए.डी. के प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति की मालिक राम बाबू गुप्ता का देहान्त हो चुका है । प्रार्थी बैंक की ओर से ऋणी की मत्यृ होने के पश्चात धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । मृतक व्यति के खिलाफ आदेश पारित किया जाना न्याय के नसैर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	